

भाग-द

## इलाहाबाद विकास प्राधिकरण, इलाहाबाद

### विकास प्राधिकरण की अम्युक्ति एवं पूर्णता प्रमाण-पत्र :

श्रीमती रशि गेहरोजा भर्नी श्री रवि गेहरोजा, श्रीमती इहि मेहरोजा पत्नी श्री रोहन मेहरोजा, श्री प्रदीप खुराना पुत्र श्री कुन्दन लाल खुराना एवं श्रीमती रीना नम्यान पत्नी श्री विल्म नम्यान, श्रीमती सरजा मायान पत्नी श्री वारुदेव मध्यान, श्री पुजकित खुराना पुत्र श्री प्रदीप खुराना हर नगूल फै टोड उपायिनायित मुख्याल संख्या-O/3 तियिल स्टेशन, एलेन रोड इलाहाबाद (नेट एरिया 829.73 वर्गमीटर) पर व्यवसायिक भवन पर विधे गये उपरोक्त प्रमाण-पत्र का परीक्षण प्राधिकरण के अवर अधिकारी श्री गौरी शंकर, सहायक अभियन्ता श्री शास्त्री प्रसाद राय तथा गुरुज नगर नियोजक बोर्ड ०१०८० सौलंगी द्वारा कर लिया गया है। यहां पर निर्माण एवं पिकास लार्ड प्राधिकरण द्वारा स्वीकृत राशोधित व्यवसायिक भवन गान्धीनगर परिवर्त संख्या-१८७/प्र०अ०-४ दिन/ज०-१/शनन/2011-12 दिनांक 17.04.2012 के अनुरूप रही पाया गया है। आधिकारी अधिकारी नूरान जल खण्ड-प्राचिक सिचाई विभाग, इलाहाबाद, तथा आर्किटेक्ट द्वारा प्रस्तुत उभेजो को राज्ञान मे लेते हुए उपायक महोदय के अनुभोदन आदेश दिनांक 27.09.2014 के क्रम में उठाये नगर नियोजन एवं पिकास अधिनियम '९७३ की धारा-८क (2) के अन्तर्गत पूर्णता प्रमाण-नक्त जारी किया जाता है। स्वीकृत मानवित्र में डारेंपें किसी भी शर्त के अनुभालन न करने क्षमता उल्लंघन करने की दशा में दो दो अनुज्ञा रवरा जामात नानी जायेगी।

#### अभिलेख जो राज्ञान मे लिये गये :-

1. अधिकारी, भूपूजायित्य०-यां० प०स० ०९/भूपूजायित्य०-यां० दिनांक 04.04.2012
2. आर्किटेक्ट/स्ट्रुचरल इंजीन का प्रमाण-पत्र।

हस्ताक्षर  
श्री रामेश्वर

पदनाम : जोनल अधिकारी अधिकारी प्र०अ०(त०स०-२) तकनीकी समिति

कायालय की मुहर २८/१०.२०१५

दिनांक :

पत्रांक :-०४/प्र०अ०(त०स०-२)/C.C/2013-14

दिनांक : 28/10/2014

